न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री विजेन्द्र सिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
489/2018	दावा 53,88 RTA	27.11.2018	14.08.2025

1. इकबाल पुत्र स्वा. अब्दुल गफूर जाति मुस्लिम निवासी वार्ड सं. 26 मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

—वादी—

बनाम

1. उमरदीन पुत्र श्री अमलुदीन जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

1/1 श्रीमती खुर्शीद पत्नी स्व. उमरदीन
1/2 खालीद पुत्र स्वा. उमरदीन
1/3 बंटी पुत्र स्व. उमरदीन
हाल निवासी गजाननन कॉलोनी, एमआईडीसी नागपुर वड़गांव गुप्ता, अहमदगनर महाराष्ट्र

2. मंगतूदीन अमलुदीन जाति मुस्मिल धोबी निवासी वार्ड संख्या –29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू हाल निवासी गजानन कॉलोनी, एमआईडीसी नागपुर वड़गांव गुप्ता, अहमदनगर महाराष्ट्र
3. तायर पुत्र स्व बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्केल के पास, चूरू
4. महबूब पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
5. रमजान पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
6. सलीम पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
7. श्रीमती आसमा पत्नी स्व. मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
8. नौशाद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
9. इरशाद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
10. अल्ताफ पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
11. राशिद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
12. नवरतन शर्मा पुत्र स्व. मुरलीधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या– 28 चूरू
13. दिनेश सिहाग पुत्र श्री हनुमानसि[illegible] जाट निवासी ग्राम राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
14. धर्मेश धायल पुत्र [illegible] जाट निवासी ग्राम झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

16. रफीक पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 26मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

17. अनवर पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 26मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद स्वामी वादी
2 अधिवक्ता नन्दराम राहड़ प्रतिवादी संख्या 02,03, 06 से 14
3 अधिवक्ता श्री संजय खान प्रतिवादी संख्या 16, 17

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 53,88,188,91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया है कि

1. यह कि वादी व प्रतिवादीगण कस्बे चूरू के स्थाई निवासी है। वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 11 तथा 16 व 17 के पूर्वज स्व. अलादीन पुत्र मौला बक्श के नाम की विक्रम सम्मत 2008 से 2011 तक के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकार की एक कृषि भूमि खेत तक के राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अधिकार की एक कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 239 गत पैमाईश सम्मत 2028 के खेत खसरा नम्बर 965 तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा चली आ रही थी व है– स्व. अलमुदीन का विक्रम सम्वत 2010 में दहावसान हो चुका है। स्व. अलमुदीन अपने जीवन पर्यनत अपने परिवार सहित काश्त करते रहे।
2. यह कि उपर वर्णित कृषि भूमि के खातेदार श्री अलमुदीन ने अपने जीवनकाल में दो विवाह किये थे जिनमें से उनकी प्रथम पत्नी से शमशसुदीन, अब्दुल गफूर व बशीर अहमद तीन पुत्र उत्पन्न हेये थे व द्वितीय पत्नी से मंगतूदीन व उमरदीन दो पुत्र उत्पन हुए । स्व. अलमुदीन के उनकी प्रथम पत्नी से चार पुत्रियां मुन्नी, जैतून, जैनी व सायारा उत्लन्न हुई थी जिनका स्व. अलमुदीन ने अपने जीवनकाल मे ही विवाह कर दिया था जिन चारों का इन्तकाल हो चुका है। अलमुदीन की द्वितीय पत्नी से भी चार पुत्रियां बशीरी, नजीरी, मैना व नसीम उत्पन्न हुई थीजिनका भी स्व अलमूदीन ने अपने जीवनकाल में ही विवाह कर दिया था। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 11 तथा 16 व 17 का वंशवृक्ष वाद पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में विस्तृत रूप से वर्णित किया गया है।
3. यह कि वर्ष 1947 में हिंदुस्तान का विभाजन के बाद वादी के दादा अलमुदीन के सबसे बड़े पुत्र शमसुदीन के साथ हुआ था, जो वादी के ताऊ थे – उनकी पत्नी और उनके बच्चे पाकिस्तान मे [illegible] वहां की नागरिकता ग्रहण कर स्थाई रूप से निवासी करने लगे। अलमु[illegible] के [illegible] पुत्र अब्दुल गफूर, बशीर अहमद, मंगतूदीन और उमरदीन [illegible] व्यक्ति ही अपने पिता स्व. अलमुदीन की संपति के बराबर–बारबर भाग के विधिक हिस्सेदार हुए और अलमुदीन पुत्र श्री मौला बक्श का विक्रम सम्मत 201[illegible] वर्ष 1953–54 का इंतकाल हो गया था।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

अलमुदीन के पुत्र अब्दुल गफूर का दिनांक 17.02.1965 को तथा बशीर का करीब 20 वर्ष पूर्व इंतकाल हो चुका है।

4. यह कि स्व. अलमुदीन बीकानेर रियासत के कादिमी निवासी थे और स्वतंत्रता से पूर्व एवं स्वतंत्रता के बाद वर्तमान में प्रभावी राजस्थान काश्तकारी रियासत–1955 से पूर्व बीकानेर रियासत (वर्तमान में बीकानेर संभाग) में समय–समय पर प्रभावी रहे विधान, कानून कायदे और रूढ़ियों और परंपराओं को मानते हुए अनना जीवन यापन करते रहे और अलमुदीन के पुत्र भी अलमुदीन के स्वर्गवास के बाद अपने पूर्वजों के अनुरूप ही कृत्य, आचरण व व्यवहार करते चले आये व चले आ रहे है।

5. यह कि वादी इकबाल अपने पिता अब्दुल गफूर के इंतकाल के समय 15–16 वर्ष का था। अब्दुल गफूर के युवा संघ में ही इंतकाल हो जाने से उनकी पत्नी श्रीमती अल्लारखी, स्वंय, भाई रफीक व व अनवर तथा पुत्री खातून एवं अन्य बच्चों के 7–8 सदस्यों के परिवार पर उदर पूर्ती का भंयकर संकट उत्पन्न हो गया जिसके चलते वादी को वर्ष 1975 में आजीविका कमाने हेतु विदेश जाना पड़ा वादी इकबाल वर्ष 1975 से लेकर वर्ष 2015 तक यानि करीब 40 वर्षों तक भारत से बाहर रहा और वर्ष 2015 में भारत आया। अब्दुल गफूर का मंझला पुत्र रफीकर भी वर्ष 2015 तक चूरू से बाहर रहा। अब्दुल गफूर का तीसरा सबसे छोटा पुत्र विकलांग शारीरिक रूप से अपाहिज व विकलांग है, इन समस्त कारणों से गफूर पुत्र स्व. अलगुदीन के चौथे खंड की कृषि भूमि को अलमुदीन के शेष तीन पुत्रों बशीर अहमद, मंगतुदीन व उमरदीन काश्त करते रहे।

6. यह कि वादी के दादा स्व. अलमुदीन के इंतकाल हो जाने के समय वर्तमान में प्रभावशाली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 लागू नहीं था, उसके अनुसार प्रावधान काश्तकारी कानून प्रभावी था और सभी प्रकार के खातेदारी एवं काश्तकारी अधिकार वर्ष 1955 से पहले प्रभावी रहे कानून के ही प्राप्त हुए थे। वर्ष 1955 से पूर्व बीकानेर काश्तकारी कानून के विधिवक प्रावधानें के तहत किसी खातेदार काश्तकार की मृत्यु पर उसके पुरूषा वंशज को ही खातेदारी व काश्तकारी अधिकार प्राप्त होते थे चूकि स्व. अलमुदीन का वर्ष 1953–54 (विक्रम संवत 2010) उस समय के इंतकाल में अलमुदीन के जीवित चार पुत्र अब्दुल गफूर, बशीर अहमद, मंगतूदीन और उमरादीन के नाम से 1/4–1/4 बराबर–बराबर हिस्से की हिस्सेदारी खाताधारी अधिकार की राजस्व रिकार्ड में प्रविष्ट किये जाने चाहिए थे क्योंकि खातेदार अलमुदीन के फौत होते ही तत्कालिक कानून के अनुसार उसके जिवित उपरोक्त चारों पुत्र 1/4–1/4 हिस्से के हकदार खातेदार हो गये।

7. उपर बताये अनुसार अलमुदीन के फौत हो जाने के बाद उनके चारों बेटे अब्दुल गफूर, बशीर अहमद, मंगतूदीन और उमरदीन हर 1/4 होते हुए भी गत बंदोबस्त के दौरान वादी के ताउ व चाचा बशीर ने राज[illegible]ारियों से मिलकर वादी के पिता स्व. अब्दुल गफूर का नाम स्व. अलमुदीन [illegible] में नहीं बताकर अमलुदीन की दूसरी पत्नी श्रीमती सूवटी के [illegible] अवैध रूप से बशीर, उमरदीन व मंगतूदीन तथा सूवटी के नाम से 1/4–1/4 हिस्से का नामांकन करवाकर राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

AG,

रिकॉर्ड में प्रविष्टि करवा ली जो कि किसी भी प्रकार से विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं थी।

8. सर्वमान्य सिद्धांत यह है कि किसी भी खातेदार की मृत्यु उसके उत्तराधिकारियों को विरासत अधिकार के अनुसार होती है, उसकी मृत्यु के समय प्रभावी कानून के अनुसार होता है, न कि इंद्राज ने अपने दिए गए समय प्रभावी कानून के कारण गत पैमाइश के दौरान वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 16 से 17 के पिता स्व. अलामुदीन क 1/4 हिस्से के रूप में कानूनन खातेदार होते हुए भी अंकन नही कर बन्दोबस्त विभाग ने राजस्व रिकॉर्ड बन्दोबस्त पर्चा सम्वत 2028 से 2047 में वादी के पिता का हिस्स समाप्त करने के दूषित इरादे से प्रावधानों के विपरीत जाकर गलत प्रविष्टि की बाबत प्रतिवादीगण ने वादी व उसके भाईयों को तथा परिवार के किसी भी सदस्य को जानकारी नहीं होने दी।

9. इस वर्ष 2015 में वादी विदेश से स्थाई रूप से वापस आकर चूरू में रहना लगा और अपने दादा के समय से चली गई आ रही कृषि भूमि का सहमति से विभाजन करने का कहा जिस पर मंगतूदीन व उमरदीन ने परिवार के सभी सदस्यों को इक्ट्ठा कर सलाह ली और कृषि भूमि का डिविजन कर लेने का आश्वासर दिया और इसी आश्वासन के चलते 2 वर्ष से भी अधिक का समय निकाल दिया गया मंगतूदीन व उमरदीन और स्व. बशीर के पांचो पुत्र मनीर व सलीम आदि द्वारा वादी के कहने पर कोई कार्यवाही नहीं करने तथा आश्वासन देकर समय निकालते चले जाने के कारण वादी को प्रतिवादी के आश्वासनों व कृतियों पर सन्देह होने पर वादी दिनांक 25.09.2018 को अपने दादा अलमुदीन के समय से चले आ रहे खेत को छोड़ दिया तो खेत को सम्भालने गया तो खेत के एक हिस्से पर प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14 श्री नवरत्न पुत्र श्री मुरलीधर शर्मा, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हनुमान सिंह व श्री धर्मेश पुत्र श्री फूल सिंह भये मिले सहित वादी ने खेत में होने का कारण पूछा तो दिनांक 12.09.2018 को हिस्सेदार श्री मंगतूदीन पुत्र श्री अलमुदीन धोबी से कीमतन क्रय करना बताया और अपने नाम के विक्रय पत्र की फोटो प्रति दिखाकर अपने आपको काबिज होना बताया।

10. यह कि वादी को उसके पैतृक खेत का 1/4 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14 को विक्रय कर देने की जानकारी होने पर वादी ने दिनांक 28.09.2018 को अपने अपने अधिवक्ता से कहकर विक्रय पत्रों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की जिनको पढने से वादी ने इन प्रतिवादीगण के विरूद्ध बिना विभाजन विक्रय कर देने की बाबत विधिक कार्यवाही करने के क्रम में दिनांक 29.10.2018 को राजस्व रिकॉर्ड की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त की तो वादी को यह जानकारी हुई की कृषि भूमि खेत खसरा संख्या 965 तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा जो वादी व उसके भाईयों की पैतृक कृषि भूमि है में वादी के पिता [illegible] गफूर का 1/4 हिस्सा होतु हुये भी नाम दर्ज नहीं है।

11. यह कि वादी व गौण प्रतिवादीगण [illegible] व 17 के पिता स्व. अब्दुल गफूर और उनके इन्तकाल के पश्चात् वादी एवं उसके भाईयों का अपने पिता से उनका 1/4 हिस्सा जो उन्हे उतराधिकार में प्राप्त हुआ है राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

जानकारी होने पर वादी ने दिनांक 05.11.2018 को प्रतिवादीगण संख्या–01 से 11 के पास जाकर इस बाबत उलाहना दिया और तहसील कार्यालय में चलकर राजस्व रिकॉर्ड में अलमुदीन के पुत्र अब्दुल गफूर का 1/4 हिस्सा होने के कारण से उनके 1/4 हिस्से का अब्दुल गफुर के तीनों पुत्रों का आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट इन्कार हो गये।

12. यह कि वादी के पिता स्व. अब्दुल गफूर वादगत खेत खसरा संख्या 965 के मूल खातेदार स्व. अलमुदीन पुत्र मौला बक्श धोबी के जाईन्दा पुत्र थे। स्व. अलमुदीन ने अपने जीवनकाल में यानि वर्ष 1941 में अपने पुत्र अब्दुल गफूर (पिता वादी एवं गौण प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17) के नाम से पंजीकृत दस्तावेज से भूमि क्रय की थी जिस पर मकान बनाकर अब्दुल गफूर अपने जीवन पर्यनत रहते रहे और उनके इन्तकाल के पश्चात् तीनों पुत्रों वादी एवं उसका भाई अपने परिवार सहित रहते चले आ रहे हैं इस कारण से यह प्रमाणित है कि स्व. अब्दुल गफूर उक्त कृषि भूमि के अलमुदीन के इन्तकाल के पश्चात् 1/4 हिस्से के हिस्सेदार हैं और अब्दुल गफूर के इन्काल के पश्चात् वादी व गौण प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 अपने पिता के 1/4 हिस्से के बतौर उतराधिकारी हिस्सेदार होने के साथ खातेदार व काश्तकार है।

13. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 से 11 वादी व उसके भाईयों को उनकी पैतृक सम्पति में कोई हिस्सा नहीं देना चाहते और अकेले हड़प करना चाहते है यही करण है कि उन्होनें श्रीमती सूवटी के 20 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व तथा श्रीमती जुबैदा का भी वर्षों पूर्व इन्तकाल नहीं करवाया हे जो प्रतिवादीगण की दुर्भाविक मंशा प्रमाणित करता है ताकि श्रीमती सूवटी के नाम से दर्ज 1/4 हिस्से का अंकन अकेले स्वयं के नाम से करसाया जा सके जो न तो न्याय संगत है और न ही विधि के प्रावधानो के अनुरूप है।

14. यह कि खेत खसरा संख्या 965 वाके रोही चूरू तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा जो वादी व उसके भाईयों की पैतृक सम्पति है जिसमें वादी व उसके पिता गफूर का 1/4 हिसा होते हुए भी राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज नहीं है जो न तो विधिक प्रावधानो के अनुरूप और न ही वादी तथा उसके भाईयों के हित में है। वादी एवं उसके भाईयों के हित में है। वादी एवं उसके भाईयों को पैतृक सम्पति से वंचित होना पड़ रहा है जो सम्पति के अध्किार के विपरीत है। ऐसी स्थिति में वादी व उसके भाईयों के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वोह उपरोक्त कृषि भूमि की बाबत राजस्व रिकॉर्ड में अपने स्व. पिता अब्दुल गफूर का 1/4 हिस्सा होने की बाबत माननीय न्यायाल से आदेश प्रज्ञत कर अब्दुल गफूर का के इन्तका के पश्चात् अपना नाम दर्ज करवाकर राजस्व रिर्कार्ड दुरूस्त करवावें।

15. यह कि प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 तथा स्व. बशीर ने स्व. अलमुदीन पुत्र स्व. मौला बक्श के समय से चली आ रही पैतृक कृषि भूमि में न केवल स्व. अलमुदीन क जाईन्दा पुत्र अब्दुल गफूर का नाम व उस[illegible] हिस्से का अंकन करवाया बल्कि स्व. अलमुदीन की दूसरी [illegible] विधि के प्रावधानों के विपरती जाकर अंकित करवा लिया जिसे हटा[illegible]कर श्रीमती सुवटी का नाम तथा श्रीमती सूवटी के नाम से दर्ज 1/4 हिस्से के [illegible]कन की जगह वादी एवं उसके भाई गौण

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादीगण संख्या 16 व 17 के नामों का अंकन करवाना भी वादी के लिए आवश्यक हो गया है।

16. यह कि जैसाकि उपर वर्णित किया गया है प्रतिवादी संख्या 2 ने प्रतिवादी संख्या 12 से 14 को 1/4 हिस्से की भूमि का विक्रय कर दी है। ये प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14 अपनी स्वयं की इच्छा से बहुमूल्य हिस्से पर बिना माननीय न्यायालय से अपना विशिष्ट हिस्सा विभाजित करवाये काबिज हो गये है सिका उन्हे कोई अधिकार नहीं है इस कारण से वादी व उसके भाईयों को अपने 1/4 हिस्से का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने व श्रीमती सूवटी का नाम हटवाने के साथ अपना 1/4 हिस्सा पृथक रूप से विभाजित करवाकर सीमांकन करवाने हेतु भी यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है।

17. यह कि प्रतिवादी संख्या 02 मंगतूदीन द्वारा अपना 1/4 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 12 से 14 को विक्रय कर देने से प्रतिवादी संख्या 01 उमरदीन तथा अन्य प्रतिवादीगण के हौसले बुलंद हो गये है। यो लोग श्रीमती सूवटी के इन्तकाल हो जाने पर उसके 1/4 हिस्से का अंकन अपने नाम से करवाने हेतु प्रयासरत है। प्रतिवादी संख्या 1 उमरदीन–कि जा आजीविका कमाने हेतु गत 40–45 वर्षो से महाराष्ट्र में रहता है – चूरू आया हुआ है और अपना 1/4 हिस्सा विक्रय करने की फिराक में है, उसने अपने प्रयास में सफल होने के लिये जमीनों के दलालो से सम्पर्क करना प्रारम्भ कर दिया है और येन केन प्रकारेण 1/4 विक्रय करने पर उतारू है।

18. यह कि प्रतिवादी संख्या 12 से 14 जमीनों की खरीद बिक्री का धंधा करते है और सम्पति को कम कीमत में क्रय कर ऊंची कीमत पर बेचकर लाभ कमाते है। प्रतिवादीगण अपने द्वारा क्रय किये हुये 1/4 हिस्से पर आवासीय भूखण्ड काटकर विक्रय करना चाहते है ताकि वादी व उसके भाईयों की 1/4 हिस्से की कृर्षि भूमि समाप्त हो जावे और कृर्षि भूमि का स्वरूप परिवर्तित हो जावे जो कृत्य प्रतिवादीगण विधिनुरूप नहीं है। ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह भी आवश्यक हो गया है कि वोह प्रतिवादीगण को चिर:निषेधाज्ञा से माननीय न्यायालय के जरिये पाबन्द करवाते हुये वर्जित करवावे कि वोह वाद पत्र में वर्णित खेत खसरा संख्या 965 वाके रोही चूरू के किसी भी अंश व भू–भाग को विक्रय व हस्तांतरित नहीं करें और न कब्जा अन्तरित करें।

19. यह कि वाद में अर्न्तवलित भूमि वादी व उसके भाईयों की पैतृक सम्पत्ति है। उनका नाम नहीं होने से वादी व उसके भाईयों का पैतृक सम्पति के हिस्से का अधिकार समाप्त होता है इस कारण से वादी को माननीय न्यायालय से अपने अधिकारों की बाबत अनुतोष प्राप्त करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं बचा है अतएव यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है– कि जिस बाबत वादी को यह कार्यवाही करने का वादाधार प्राप्त है और प्रतिवादीगण [illegible] क 05.11.2018 को आपसी सहमति से वादी व उसके भाईयों [illegible] सूवटी का नाम हटवाकार विभाजन करवाने से इ[illegible] से वाद हेतुक प्राप्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

AG,

20. यह कि खेत खसरा संख्या 965 वाके रोही कस्बा चूरू के वर्तमान राजस्व रेकार्ड समस्त् 2071–74 में श्रीमती सूवटी पत्नी आलमुदीन तथा जुबैदा पत्नी बशीर का बत्तौर खातेदार नाम अंकित है – मगर यह दोनों महिलाएं काफी समय पूर्व ही फौत हो चुकी हैं इस कारण से इन्हें इस प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है और पूर्व से दर्ज खातेदार मनीर भी फौत हो चुका है इस कारण से उसके जीवित पुत्रों को आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार संयोजित किया गया है।

21. यह कि वादी के दो भाई गौण प्रतिवादी संख्या–15 व 16 वर्तमान में चूरू से बाहर गये हुए हैं। इस कारण से वादी के साथ मिलकर वाद पर हस्ताक्षर करने और वाद प्रस्तुत करने हेतु उपलब्ध नहीं है – मगर यह वाद गौण प्रतिवादीगण संख्या–16 व 17 के हितों के लिये भी प्रस्तुत किया जा रहा है और विधिक आपत्ति से बचने के लिये उन्हें गौण प्रतिवादीगण संयोजित किया गया है। वादी द्वारा उनके विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा जा रहा है।

22. यह कि वादी द्वारा वाद पत्र में चाहे गये अनुतोष के क्रम में राजस्व रेकार्ड में जो दुरूस्ती की जानी है व संशोधन किया जाना है वह प्रतिवादी संख्या–15 राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि तहसीलदार, चूरू द्वारा किया जाना है क्योंकि राजस्व रेकार्ड तहसीलदार, चूरू द्वारा ही संधारित किया जाता है और उसी के कब्जे में राजस्व रेकार्ड रहता है। वादी द्वारा वाद पत्र में चिरःनिषेधाज्ञा का भी अनुतोष चाहा गया है। प्रतिवादीगण वाद पत्र में वर्णित भूमि को हस्तांतरित करने हेतु अडिग है इस कारण से यह वाद आवश्यक प्रवृति का वाद होने से प्रतिवादी संख्या 15 को बिना विधिक नोटिस दिये ही प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी द्वारा इस बाबत पृथक से भी माननीय न्यायालय से नोटिस देने की छूट प्राप्त कर वाद पत्र प्रस्तुत करने की अनुमति दिये जाने हुतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

23. यह कि वाद में अर्न्तवलित कृषि भूमि कस्बे चूरू में अवस्थित है। प्रकरण के पक्षकार भी चूरू के निवासी है इस कारण से यह वाद माननीय न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार में है और चारों अनुतोष के लिये रू5–रू5 कुल रू20 के न्याय शुल्क पर सद्भाविक रूप से प्रस्तुत है।

24. अतः वाद प्रस्तुत कर सादर निवेदन है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से सादर आज्ञप्त फरमाया जावे–

1. विक्रय सम्वत् 2008 से 2011 के राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा संख्या 239 एवं खसरा बंदोबस्त सम्मत् 2025 खेत खसरा संख्या 965 तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा जो अलमुदीन पुत्र मौला बक्श के नाम दर्ज है– में अलमुदीन के जायन्दा पुत्र अब्दुल गफुर का 1/4 हिस्सा घोषित किया जाकर अलमुदीन के फौत हो जाने पर उसके 1/4 हिस्से का नामांकन उसके जीवित जाइन्दा पुत्र वादी इकबाल, गौण प्रतिवादी रफीक व अनवर के [illegible] दर्ज अंकन किया जावे।
2. कस्बा चूरू के खे[illegible]टी व उसके नाम से दर्ज उसके 1/4 हिस्से[illegible] अलमुदीन पुत्र मौला बक्श के जायन्दा पुत्रगण वादी इकबाल, गौण [illegible]तिवादी रफीक व अनवर के नाम से 1/4 हिस्से का नामांकन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड संधारित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

AG

3. राजस्व रिकॉर्ड में वादी इकबाल, गौण प्रतिवादी रफीक व अनवर का 1/4 हिस्सा दर्ज कर उनके हिस्से का पृथक से विभाजन किया जाकर सीमांकन करवाया जावे।

4. प्रतिवादीगण को चिरःनिषेधाज्ञा से वर्जित किया जाकर पाबन्द फरमाया जावे कि वोह खेत खसरा संख्या 965 के किसी भी अंश व भू भाग को जब तक प्रत्येक खातेदार हिस्सेदार हिस्सा पृथक से विभाजित नहीं हो जावे तब तक किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण, रहन व विक्रय आदि नहीं करें।– न करावे और न ही किसी को कब्जा हस्तान्तरित कर काबिज करावे।

5. वाद व्यय प्रतिवादीगण से दिलवाया जावे।

6. अन्य कोई अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने सुनवाई हो जावे तो वह भी दिलवाया जावे।

1. प्रतिवादी संख्या 2, 3, 6 से 14 की ओर से दावे का जबाबदावा–

1. यह कि वाद पत्र की मद सं. 1 में दर्ज कथन प्रतिवादीगण सं.1 से 11 तथा 16 से 17 का पूर्वज अलमुदीन होना सही लिखा है बाकी तथ्य वाद पत्र की मद सं. 1 से बनावटी व झुठे दर्ज किये गये है इस लिए अस्विकार है। वाद पत्र में अलमुदीन का नाम राजस्व अभिलेख में संवत् 2008 से 2011 तक पुराना ख.नं. 239 वाके रोही चूरू की खातेदारी अलमुदीन के नाम से दर्ज होने का कथन सरासर वादी ने गलत दर्ज किया है राजस्व अभिलेख में अलमुदीन संवत् 2008 से 2010 तक राजस्व अभिलेख में मात्र गिरदावरी का अंकन जरूर है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पहले जागीरदारी समाप्त तक वादगत कृषि भूमि की खातेदारी जागीरदार बीकानेर स्टेट के नाम से रही है अलमुदीन का देहान्त संवत् 2010 के शुरू में ही हो चुका संवत् 2010 से अलमुदीन के पुत्र उमरदीन,मंगतू श्रीमती सुवटी बसीर के कब्जे काश्त में चली आई वादी के पिता अब्दुल गफुर का मोके पर कोई कब्जा काश्त संवत् 2010 से लेकर सन् 1965 तक कभी नहीं रहा ओर वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त वादगत कृषि भूमि पर 65 साल से नहीं है इस लिए वादगत कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का काई अधिकार नहीं है ऐसी स्थिति में वादी को वादत कृषि भूमि के संबंध में काई वाद हेतुक प्राप्त नहीं है।

2. यह कि वादपत्र की मद सं. 2 में गलत तथ्य अलमुदीन के दो पत्नीया प्रथम पत्नी मुखी व द्वितीय पत्नी सुवटी होना स्वीकार है तथा प्रथम पत्नी के तीन लड़के व चार लड़किया द्वितिय पत्नी सुवटी के दो लड़के चार लड़किया के जो नाम बताये गये है वे सही दर्ज किये गये है प्रथम पत्नी का लड़का समुसदीन हिन्दूस्तान विभाजन के वक्त मय परिवार पाकिस्तान में चले जाना के तथ्य सही दर्ज किया गया है। वादी की ओर से जो ... के उतराधिकारी वारिसान का जो वंशवृक्ष पेश किया गया ... किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

3. यह कि वाद पत्र की मद सं. ... कथन सन् 1947 को हिन्दुस्तान विभाजन के वक्त अलमुदीन का बड़ा पुत्र पाकिस्तान में मय बाल बच्चो सहित चला गया व वही रिहायश करता रहा तथा उसके वारिसान पाकिस्तान में स्थायी रूप से रहते

AG

चले आये। वाद पत्र की पद सं. 3 में बाकी तथ्य आधारहीन गलतरूप से दर्ज किये गये है। इसलिए अस्वीकार है। पुराना ख.नं. 239 वाके रोही चूरू जिसके हाल ख.नं. 965 तादादी 19 बीघा 10 विस्वा की खातेदारी अधिकार अलमुदीन को संवत् 2010 में प्राप्त होने का तथ्य वादी की ओर से गलत दर्ज किया गया है स्वर्गीय अलमुदीन के जीवित अवस्था तक वादगत कृर्षि भूमि की खातेदारी अलमुदीन को प्राप्त नही हुई ऐसी स्थिति में वादी को व वादी के पिता को तथा वादी के भाई प्रतिवादी सं. 16 व 17 का वादगत कृर्षि भूमि में काई हक व अधिकार खातेदारी बाबत प्राप्त नहीं हुए है ओर न ही संवत् 2010 से आज तक वादी व वादी के पिता तथा प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का कब्जा काश्त रहा है इसलिए वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य है।

4. यह कि वा पत्र मद सं. 4 में दर्ज तमाम कथन वास्तविकता के वितरीत गलत दर्ज होने से अस्वीकार है। पूर्व बीकानेर रिहाशत जा कि कृर्षि भूमि के संबंध मे जागीरदारो की खातेदारी रहीत चली आई जिसमें काश्त करने वाले को खातेदारी हक व अधिकार सन् 1955 तक नही रहे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जब लागु हुआ उस वक्त मौके पर काबिज भोतिक रूप से काश्तकार को खातेदारी अधिकार संवत् 2012 के आधार पर दिये गये जब कि अलमुदीन संवत् 2010 में फौत हो गया उसके पश्चात अलमुदीन के पुत्र उमरदीन मंगतु बसीर तथा सुवटी के कब्जा काश्त संवत् 2012 में होने के कारण बहैसियत खातेदार काश्तकार हो गये वादी व वादी का पिता अब्दुल गफुर का संवत् 2010 से लेकर आज तक कोई कब्जा काश्त भोतिक रूप से नही रहा ऐसी स्थिति में वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 को वादत कृर्षि भूमि के संबंध में कतई रूप से कोई हक व अधिकार खातेदारी बाबत नहीं है।

5. यह कि वाद पत्र की मद सं. 5 में तमाम कथन गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 जो 40 साल तक भारत से बाहर अन्य देश में रहने का तथ्य सरासर बनावटी दर्ज किया गया है इससे स्पष्ट है कि वादी का वादगत कृर्षि भूमि में कोई कब्जा काश्त व हक हकूक नही रहा ओर न आज है वादगत कृर्षि भूमि के बतौर खातेदार काश्तकार भोतिक रूप से श्रीमती सुवटी,उमरदीन,बसीर अहमद तथा मंतू चले आये है स्वर्गीय सुवटी देवी की मृत्यु के पश्चात उसके 1/4 हिस्से की खातेदारी कृर्षि भूमि के हकदार व खातेदार सुवटी के जायन्दा पुत्र मंगतु,उमरदीन व उसकी चारो लड़किया है ऐसी स्थिति में सुवटी के हिस्से की खातेदारी बाबत वादी कानूनन वाद लाने का अधिकरी नही है।

6. यह कि वाद पत्र [illegible] 6 में [illegible] कथन अस्पष्ट व खिलाफ कानून के गलत रूप से दर्ज किये गये है [illegible] से अस्वीकार है बीकानेर काश्तकारी अधिनियम के वक्त [illegible] अलमुदीन के खातेदारी दर्ज नही रही बल्कि मात्र [illegible]र दर्ज हुई है गिरदावरी के आधार पर मृतक काश्तकार के वारिसानो को इ[illegible]काल खातेदारी बाबत काई कानुनी प्रावधान बिकानेर काश्तकारी अधिनियम में नही रहा है ओर न ही आज है। सवत् 2010 से

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

लेकर आज तक वादगत कृषि भूमि ख.नं. 965 तादादी 19 बिघा 10 बिस्वा वाके रोही कस्बा चूरू पर वादी का व वादी के पिता व वादी के भाई प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का 65 साल से कब्जा काश्त नही रहा है ओर न आज है ऐसी स्थिति में वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य है।

7. यह कि वाद पत्र की मद सं. 7 मे दर्ज तमाम कथन बनवटी व झुठे दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वादगत कृर्षि भूमि में वादी के पिता का काई हक व अधिकार खातेदारी बाबत नही रहा न आज है। श्रीमती सुवटी का वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 के पिता अब्दुल गफुर जायन्दा पुत्र नही है अब्दुल गफुर जो कि अलमुदीन की प्रथम पत्नी मुखी का जायन्दा पुत्र है ऐसी स्थिती में स्व.श्रीमती सुवटी के 1/4 हिस्से की खातेदारी सुवटी के जायन्दा पुत्र प्रतिवादी सं. 1 व 2 के 1/4 हिस्से के बतौर उतराधिकार खातेदार काश्तकार है कानुनन वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 सुवटी के हिस्से की खातेदारी हासिल करने के अधिकारी नहीं है।

8. यह कि वाद पत्र की मद सं. 8 में तमाम कथन गलत व आधारहीन होने के कारण असवीकार है। वादी ने अपने वाद में स्व.सुवटी के नाम खातेदारी दर्ज होने का तथ्य दावे में सरासर गलत दर्ज किया गया है वादगत कृर्षि भूमि पर कब्जा व काश्त श्रीमती सुवटी, उमरदीन,मंगतू व बसीर का संवत् 2010 से बतौर काश्तकार चला आया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 से पूर्व से चले आ रहे कब्जे काश्त के आधार पर सुवटी वगैरा की खातेदारी दर्ज रही है एसी स्थिति में वादी का वाद बिना आधार के होने से खारिज योग्य है।

9. यह कि वादं पत्र की मद सं. 9 में दर्ज तमाम कथन बनावटी व झूठे दर्ज किये गये है इसलिए अस्विकार है वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 को प्रतिवादी सं.1 व 2 तथा स्व बसीर के पांचो पुत्रो द्वारा जमीन के बंटवारे बाबत आश्वासन दिये जाने का तथ्य वाद पत्र में वादी द्वारा सरासर बनावटी व गलत दर्ज किया गया है प्रतिवादीगण सं. 12 से 14 से वादी की कभी कोई वार्ता व एक दूसरे के सामने कभी नही हुये तथा 1/4 हिस्से को बैनामा की फोटो वादी को प्रतिवादीगण सं. 12 से 14 द्वारा बतलाया जाना व दिखाया जाना वादी ने सरासर गलत तथ्य दर्ज किये है।

10. यह कि वादपत्र की मद सं. 10 में दर्ज तमाम तथ्य बनावटी व झूठे दर्ज होने के कारण अस्वीकार है वादगत कृर्षि भूमि ख.नं. 965 तादादी 19 बीघा 10 विस्वा वाके रोही चूरू में वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का काई हक व अध्किार तथा कब्जा नहीं है वादी ने गलत रूप से वादगत कृर्षि भूमि में 1/4 हिस्सा पैतृक होना दावे में गलत दर्ज किया गया है प्रतिवादीगण सं. 12 से 14 ने 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 2 मंगतू को प्रतिफल [illegible] अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 12.09.2018 को [illegible] काश्ता प्रतिवादी सं. 1 के वारिसान एवम् प्रतिवादी सं. [illegible] का मौके पर भौतिक रूप से चला आ रहा है वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 [illegible] मौका पर कब्जा काश्त न तो पहले का ना आज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

AG

11. यह कि वादपत्र की मद सं. 11 में दर्ज तमाम कथन गलत दर्ज किय गये है इसलिए अस्वीकार है वादगत कृषि भूमि में वादी एवम् प्रतिवादी सं.16 व 17 तथा उसके पिता अब्दुल गफुर का कभी काई कब्जा काश्त खातेदारी अधिकार वादगत कृषि भूमि में आज तक नही रहा ऐसी स्थिति में वादी वादगत कृषि भूमि में खातेदारी अधिकार व विभाजन करवाने का अधिकार नही है वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य है।

12. यह कि वाद पत्र की मद सं. 12 में दर्ज तमाम कथन बनावटी एवम झूठे तथ्य दर्ज होने के कारण अस्वीकार है वादगत कृषि भूमि में वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का काई खातेदारी हक व अधीकार नही रहा है ओर ना ही संवत् 2010 से आज तक वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 तथा वादी के पिता अब्दूल गफूर का काई कब्जा व काश्त 65 साल से नही रहा है ऐसी स्थिति में वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य है।

13. यह कि वाद पत्र की मद सं. 13 में लिखे तमाम तथ्य काल्पनिक व मनगढन्त दर्ज होने के कारण अस्वीकार है वादगत कृषि भूमि में श्रीमती सुवटी 1/4 हिस्से की खातेदार है सुवटी की मृत्यु के पश्चात 1/4 हिस्सा की खातेदारी उसके जायन्दा पुत्र. प्रतिवादी सं. 1 व 2 उमरदीन व मंतू उतराधिकारीगण खातेदार है वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 के पिता अब्दुल गफूर जो कि सुवटी का जायन्दा पुत्र नही है बल्कि मुखी का जायन्दा पुत्र है ऐसी स्थिति में सुवटी की खातेदारी भूमि में काई हक व हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का कानूनन प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

14. यह कि वाद पत्र की मद सं. 14 में दर्ज तमाम कथन गलत दर्ज किये गये है इसलिये अस्वीकार है वादगत कृषि भूमि वर्तमान ख.नं.965 तादादी 19 बिघा 10 विस्वा वाके रोही चूरू में वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का काई हक व हिस्सा व कब्जा नही है वादी द्वारा वादपत्र में गलतरूप से अपने पृत पिता अब्दूल गफूर के नाम 1/4 हिस्सा की खातेदारी बाबत अनुतोष चाहा गया है कानूनन मृत व्यक्ति के नाम से काई अनुतोष प्राप्त नही किया जा सकता है ऐसी स्थिति में वादी का वाद खारिज योग्य है।

15. यह कि वाद पत्र की मद सं. 15 में दर्ज तमाम कथन गलत व बिना आधार के दर्ज होने के कारण अस्वीकार है सही हकीकत यह है कि वादगत कृषि भूमि मे वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 के पिता अब्दुल गफूर का काई हक व अधिकार कब्जा व काश्त नही रहा ना आज है स्व. अब्दुल गफूर ने अपने जीवनकाल में कभी भी वादगत कृषि भूमि में काई हक व अधिकार नही जताया तथा सन्1965 से लेकर सन् 2018 तक वादी व प्रतिवादीगण सं.16 व 17 ने कभी कोई उजर व एतराज तक नही किया ओर ना [illegible]ात कृषि भूमि को काश्त किया श्रीमती सुवटी 1/4 हिस्[illegible] राजस्व अभिलेख मे दर्ज है उसका इन्द्राज [illegible] विभाजन करवाने का अधिकारी नही है इसलिए वादी का वाद मय खर्चा ख[illegible] योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

16. यह कि वादपत्र की मद सं. 16 मे दर्ज कथन अस्पष्ट व गलत दर्ज किये गये है इसलिए अस्वीकार है। प्रतिवादीगण सं. 13 से 14 द्वारा साधिकार विक्रय पत्र के जरिये कृषि भूमि खरीद की है जो बतौर खातेदारी काश्तकार काबिज प्रतिवादीगण सं. 12 से 14 चले आ रहे है स्व.सुवटी के खातेदारी 1/4 हिस्से के संबंध में वादी को काई हेतुक व वाद करण प्राप्त नही है इसलिए वादी का वाद खारिज योग्य है

17. यह कि वाद पत्र की मद सं. 17 में दर्ज तथ्य तोड़ मरोड़ कर हकीकत के विपरीत दर्ज होने के कारण अस्वीकर है प्रतिवादी सं. 2 द्वारा साधिकार 1/4 की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 12 से 14 को विक्रय की गई है श्रीमती सुवटी की 1/4 हिस्से की खातेदारी सुवटी की जायन्दा ओलाद के नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज होना है वादी की पिता सुवटी का जायन्दा पुत्र नही है ऐसी स्थिति में सुवटी के 1/4 हिस्से के खातेदार वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 प्राप्त करने के अधिकारी नही है।

18. यह कि वाद पत्र की मद सं. 18 में दर्ज तमाम कथन गलत दर्ज किये गये है इसलिए अस्वीकार है प्रतिवादी सं. 12 से 14 नवरतन, धर्मेश,दिनेशकुमार ने जरिये बैनामा खातेदार मंगतू से 1/4 हिस्से की खातेदारी साधिकार खरीद की गई है जिस पर कब्जा व काश्त प्रतिवादी सं. 12 से 14 का बतौर खातेदार चला आ रहा है प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 के अलावा प्रतिवादीगण वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार नही है ना ही इनका काई कब्जा काश्त है। ऐसी स्थिति में कब्जे के अभाव मे वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री कानूनन प्राप्त करने का अधिकारी नही है।

19. यह कि वादमत पत्र की मद सं. 19 में दर्ज तमाम कथन बनावटी एवम काल्पनिक रूप से गलत दर्ज किये गये है इस लिए अस्वीकार है वादगत कृषि भूमि में वादी एवम प्रतिवादी सं. 16 व 17 तथा स्वर्गीय अब्दुल गफुर का कभी काई कब्जा काश्त 65 साल से नही रहा है ओर न ही आज है ओर ना ही वादी का काई हक व अधिकारी है ऐसी स्थिति में वादी का प्रतिवादीगण के खिलाफ काई वादहेतुक व वादकारण प्राप्त नही है न ही दावे के कथनो से वाद हेतुक वादी का दर्शित है ऐसी स्थिति में वादी का वाद मय खर्चा खारिज योग्य है।

20. यह कि वाद पत्र के मद सं. 20 में दर्ज कथन गलत रूप से दर्ज होने के कारण अस्वीकार है स्वर्गीय सुवटी के जायन्दा समस्त वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है। सुवटीदेवी के चारो पुत्रीयां जो आवश्यक पक्षकार है जिनके अभाव में यह दावा चलने योग्य नही है।

21. यह कि वाद पत्र की मद सं. 21 में दर्ज तमाम कथन हकीकत के वितरीत गलत दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 के पिता अब्दुल गफूर अपने जीवनकाल मे वादगत कृषि भूमि की बाबत कभी काई हक हिस्सा क्लेम नही किया ओर ना ही वादगत कृषि भूमि पर कब्जा रहा। वादी के पिता की मृत्यु के 45 साल तक वादी ने कोई अधिकार नही जताया ओर न ही वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का वादगत कृषि भूमि में कब्जा काश्त रहा वादी जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

Ali

कि प्रतिवादी सं. 1 ता 11 से आपसी नाराजगी के कारण गलत कथन करजे हुए वाद पेश किया गया है।

22. यह वाद पत्र की मद सं. 22 में वादी की ओर से तमाम कथन खिलाफ कानून दर्ज होने के कारण अस्वीकार है। प्रतिवादी सं. 15 भूमिधारक जो प्रभावी पक्षकार है जिसके खिलाफ वादी की ओर से बिना आधार के काल्पनिक आरोप लगाये गये है धारा 80 सी.पी.सी के नोटिस के अभाव में वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नही है।

23. यह कि वाद पत्र की मद सं. 23 में दर्ज कथन कानूनी है वादी को प्रतिवादीगण के खिलाफ काई वाद हेतुक व वादकारण प्राप्त नही है।

24. यह कि वाद पत्र की मद सं. 24 मे दर्ज अनुतोष 1,2,3,4,5 व 6 कानूनी रूप से वादी प्राप्त करने का अधिकार नही है वाद मय खर्चा खारिज किये जाने योग्य है जो खारिज फरमाया जावें

विशेष कथन

25. यह कि वादी का दावा मियाद बाहर पेश किया गया है। वादी के पिता अपने जीवनकाल में कभी भी उज्र नही किया अब्दुल गफुर की मृत्यु सन्1965 में हुई उसके पश्चात 45 साल तक वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 द्वारा कभी उज्र व एतराज वागत कृषि भूमि के संबंध में खातेदारी हक बाबत नही किया गया 65 साल बाद यह वाद बिना आधार के बिना कब्जा काश्त के पेश किया गया है। यह दावा पूर्ण रूप से अवधि बाधित होने से खारिज योग्य है।

26. यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 का तथा उसके पिता का 65 साल से मौके पर कोई कब्जा काश्त आज तक नही रहा बिना कब्जा काश्त के खातेदारी एवम रिकार्ड दुरूस्ती का दावा कानूनन पोषणीय नही है तथा दावा बिना कब्जा प्राप्ति के अनुतोष के घोषणात्मक एवम रिकार्ड दुरूस्ती बाबत कानूनन चलने योग्य नही है।

27. यह कि वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 के खिलाफ स्थायीी निषेधाज्ञा की डिग्री का अनुतोष चाहा गया है जब कि प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 वादगत खेत के खातेदार काश्तकार चले आ रहे है वादीगण को काई कब्जा काश्त 65 साल से नही रहा है ऐसी स्थिती में कानूनन रिकार्डेड खातेदारो के खिलाफ कब्जे के अभाव में वादी स्थायी निषेधाज्ञा की डिग्री कानूनन प्राप्त करने का अधिकार नही है।

28. यह कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 16 व 17 जो कि वादगत कृषि भूमि के रिकार्डेड खातेदार काशतकार व काबिज नही है ऐसी स्थिती में वादी का विभाजन का दावा कानूनन पोषणीय नही है।

29. यह कि वादी ने अपने वादपत्र में स्वर्गीय सुवदी की खातेदारी हटाये जाने व अपने मृतक पिता के नाम से खाते[illegible] करवाये जाने बाबत यह वाद पेश किया गया है कि जब [illegible] को खातेदारी अधिकार कानूनन घोषित नही कि[illegible] जा सकते तथा [illegible] सुवटी जो कि वादगत कृषि भूमि की 1/4 हिस्से की खातेदार चली आ रही [illegible] सुवटीदेवी के प्रथम श्रेणी के वारिस खातेदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

काश्तकार है वादी व प्रतिवादी सं. 16 व 17 सुवटीदेवी के वारिस नही है ऐसी स्थिती में वादी का वाद कानूनन चलने योग्य नही है।

प्रपिवादी सं. 16 व 17 ने वादी का दावा स्वीकार किया

जवाब दावा प्राप्त होने पर तनकी कायम की गई जो इस प्रकार है–

तनकीयात्

1.आया कि वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 16 व 17 स्व. अब्दुल गफूर के उत्तराधिकारी होने के कारण स्व. अलमुदीन की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 965 में 1/4 हिस्से के हकदार हैं?

जिम्मे वादी

2.आया कि खसरा संख्या 965 में वादी व उसके भाइयों का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होना कानूनन त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण है?

जिम्मे वादी

3.आया कि स्व. अलमुदीन की दूसरी पत्नी श्रीमती सुवटी के नाम दर्ज 1/4 हिस्से की खातेदारी गलत तरीके से दर्ज की गई है तथा उसे हटाकर वादी व उसके भाइयों के नाम अंकन किया जाना चाहिए?

जिम्मे वादी

4.आया कि वादी व उसके भाइयों का राजस्व रिकॉर्ड में नाम अंकित कर उनके हिस्से का पृथक विभाजन व सीमांकन किया जाना चाहिए?

जिम्मे वादी

5.आया कि वादी स्थायी निषेधाज्ञा (Permanent Injunction) प्राप्त करने का हकदार है ताकि प्रतिवादीगण खसरा संख्या 965 की भूमि का कोई हस्तांतरण, विक्रय, कब्जा आदि न कर सकें जब तक कि विधिक विभाजन न हो?

जिम्मे वादी

6.आया कि वाद मियादबाहरी (Limitation Barred) है तथा वादी द्वारा 60 वर्ष से अधिक विलम्ब से दायर किया गया है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14

7.आया कि वादी या उसके पिता का खसरा संख्या 965 पर कोई वास्तविक कब्जा या काश्तकारी कभी नहीं रही, और इस कारण वादी का दावा पोषणीय नहीं है?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14

8.आया कि वादी द्वारा मृतक अब्दुल गफूर के नाम से खातेदारी दर्ज करवाने की मांग कानूनन अमान्य है, क्योंकि मृत व्यक्ति को खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14

9.आया कि सुवटी देवी के नाम से दर्ज खातेदारी वैध है तथा उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी ही इस भूमि के खातेदार व काश्तकार हैं?

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14

10. आया कि वादी द्वारा स्थायी नि[illegible]ज्ञा [illegible] मांग अविधिक है क्योंकि वादी स्वयं खसरा संख्या 965 की भू[illegible]

जिम्मे प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14

11. अन्य विधिक अनुतोष

AG

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 की प्रस्तुत की गई जिसको प्रार्थना पत्र के समर्थन दस्तावेज पेश करने हेतु आदेशित किया गया परन्तु प्रतिवादी अधिवक्ता कि ओर से दस्तावेज प्रस्तुत नही किए गये दस्तावेजो के अभाव में प्रतिवादी की ओर से प्रस्तूत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया सहिंता को खारिज किया गया तथा पत्रावली को बहस में नियत किया गया। अधिवक्ता उभय पक्ष कि बहस सुनी गई बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया।

दस्तावेज जमाबन्दी संवत् 2008 से 2011 खसरा नं. 239 में भूमि अधिकारी (जार्गीदार उप जार्गीदार ओर माछ गुजार या जमिदार) अमलुदीन वल्द चोलाबक्स कोम धोबी सादेह खुदकाश्त 32 बिघा 20 बिसवा अंकित है सेटलमेन्ट विभाग कि रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 965 खसरा नं. 239 से बनाया गया है जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 खसरा नं. 965 में उमरदीन पुत्र अमलुदीन हिस्सा 1/4 तथा जुबेदा पत्नी बसीर, तयार पुत्र बसीर, मनीर पुत्र बसीर, महबुब पुत्र बसीर, रमजान पुत्र बसीर, सलीम पुत्र बसीर, प्रत्येक का हिस्सा 1/24 है तथा मंगतुदीन पुत्र अमलुदीन हिस्सा 1/4 व सुवटी पत्नी अमलुदीन हिस्सा 1/4 मृत्यु प्रमाण पत्र अब्दुल गफुर माता मुखी पिता अमलुदीन के अनुसार 17.02.1965 को अब्दुल गफुर की फोत हुई है। संलग्न कुर्षि नाम के अनुसार अमलुदीन के दो पत्नीयां थी जिनके कुल 5 वारीस थे जिनमें से शमसुदीन पाकीस्तान चला गया अब्दुल गफुर के तिन वारीस इकबाल,रफि व अनवर बसीर बहमद के 5 वारीस थे तायर,महबुब,रामजान,सलीम,मनीर जिसमे मनीर की फोत होने पर उसके 5 वारीस आसमा,नोसाद,इरसाद,अल्ताफ,रासिद अमलुदीन के दो वारीस मंगतुदीन व उमरदीन मोजुद है।

विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2018 रसीद नं. 201802337004829 के अनुसार मंगतु ने दिनंश व धर्मेश को खसरा नं. 965 मे से 1/8 हिस्सा विक्रय कर दि है व विक्रय पत्र दिनांक 12.09.2018 रसीद नं.201802337004828 के अनुसार मंगतु ने खसरा नं. 965 मे से 1/8 हिस्सा विक्रय कर दि है।

तनकी संख्या 1

स्व. अलमुदीन की खातेदारी भूमि दृ खसरा संख्या 965 में दर्ज है और यह सिद्ध है कि वे खातेदार थे। वादी और गौण प्रतिवादी संख्या 16 व 17 की स्थिति यदि वादी व प्रतिवादी 16 व 17 यह सिद्ध कर देते हैं किः वे स्व. अब्दुल गफूर के वैध उत्तराधिकारी हैं, और स्व. अब्दुल गफूर स्व. अलमुदीन के उत्तराधिकारी थे (जैसे पुत्र, भाई आदि),
तो वे उत्तराधिकार में प्राप्त हिस्से के हकदार हो सकते हैं। उत्तराधिकार का सिद्ध होना आवश्यक है उत्तराधिकार कानून के अनुसार, उत्तराधिकार तभी लागू होता है जब वह सिद्ध हो किः स्व. अब्दुल गफूर का स्व. अलमुदीन से उत्तराधिकार संबंध था, और वादी व प्रतिवादी 16 व 17 का [illegible] संबंध था। 1/4 हिस्से का दावा यदि अलमुदीन की संपत्ति में अब्दुल [illegible] हिस्सा 1/4 था, और अब उस हिस्से के उत्तराधिकारी वादी व [illegible] न्यायोचित हो सकता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

"प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में, चू[illegible] वादगत कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2008 से 2011 में अलमुदीन कास्तकार है व संलग्न दस्तावेज अलमुदीन ने अपने जिवनकाल में

अपने पुत्र अब्दुल गफुर (वाद व गोणप्रतिवादी सं.16 व 17 के नाम से पंजिक्रत दस्तावेज से भूमि क्रय कि थी। अतः वादी व गौण प्रतिवादी संख्या 16 व 17 यह सिद्ध करने में सफल होते हैं कि वे स्व. अब्दुल गफूर के वैध उत्तराधिकारी हैं और स्व. अब्दुल गफूर स्व. अलमुदीन के खातेदारी भूमि (खसरा संख्या 965) के 1/4 हिस्से के उत्तराधिकारी थे, तो वे उक्त हिस्से के हकदार माने जा सकते हैं। अतः ये तथ्य सुस्पष्ट रूप से प्रमाणित होते हैं, वादी व गौण प्रतिवादी 16 व 17 खसरा संख्या 965 की खातेदारी भूमि में 1/4 हिस्से के हकदार हैं। इस प्रकार तनकी सं. 1 वादी व गौण प्रतिवादी सं. 16 व 17 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी न. 2

वादी व उसके भाइयों का उस भूमि (खसरा संख्या 965) पर वैध उत्तराधिकार या स्वामित्व है या नहीं,तथा उनके नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज न होने के क्या कारण हैं लापरवाही, साजिश, या अन्य कोई तकनीकी त्रुटि। यदि वादी व उसके भाइयों का उत्तराधिकार सिद्ध होता है और इसके बावजूद उनका नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, तो यह न केवल कानूनन त्रुटिपूर्ण माना जाएगा बल्कि अन्यायपूर्ण भी होगा।

निर्णय

"वादी व उसके भाइयों का खसरा संख्या 965 की खातेदारी भूमि में उत्तराधिकार तनकी सं. 1 के निर्णय से सिद्ध होता है और इसके बावजूद उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया गया है, इस लिये यह स्पष्ट रूप से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में वादी व उसके भाइयों का नाम अभिलेखों में दर्ज न होना न केवल कानूनन त्रुटिपूर्ण है, बल्कि यह उनके वैधानिक अधिकारों का हनन कर अन्यायपूर्ण भी है। वादी व उसके भाइयों को उनका वैध हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाया जाना न्यायसंगत होगा। इस प्रकार तनकी सं. 2 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 3

चूंकी सुवटी देवी के वारीश पहले से ही राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से के खातेदार है व सुवटी देवी की फोत होना स्विकार किया है। राजस्व रिकॉर्ड में उनका नाम बिना कानूनी अधिकार के दर्ज किया गया। वादी व उसके भाइयों का दावा क्या उत्तराधिकार के आधार पर है वादी व उनके भाई स्व. अलमुदीन की पहली पत्नी से उत्पन्न संतान हैं और सुवटी को उत्तराधिकार का कोई वैध हक नहीं था (जैसे कि विवाह प्रमाणित नहीं था, या उन्हें बिना बंटवारे के नाम दर्ज कर दिया गया), तो यह एक गैरकानूनी अनुचित अंकन माना जा सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में नाम चढ़ाने की प्रक्रिया का पालन नही किया गया सुवटी का नाम बिना वादियों की जानकारी व सहमति के बिना दर्ज किया गया, वह त्रुटिपूर्ण माना जाएगा।

निर्णय

"यदि यह सिद्ध होता है कि स्व. अलमुदीन की दूसरी पत्नी श्रीमती सुवटी का नाम खसरा संख्या 965 में 1/4 हिस्से पर बिना वैधानिक अधिकार एवं विधिसम्मत प्रक्रिया का पालन किए दर्ज किया गया है, तथा उक्त भूमि पर वादी व उनके भाइयों का वैध उत्तराधिकार स्थापित होता है, सुवटी के नाम दर्ज खातेदारी को कानूनन त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। ऐसी दशा में उक्त 1/4 हिस्से से सुवटी का नाम हटाकर वादी व उनके भाइयों का नाम दर्ज किया जाना विधिसम्मत एवं न्यायोचित है। इस प्रकार तनीक सं. 3 वादी व गौण प्रतिवादी 16 व 17 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 4

वादी व उनके भाइयों ने यह साक्ष्य प्रस्तुत कर दिया है कि वे स्व. अलमुदीन के वैध उत्तराधिकारी हैं और उनके हिस्से पर दावेदारी [illegible] राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होना आवश्यक है। यदि साझा खातेदारी में उनका नाम नहीं [illegible] ने हिस्से का सीमांकन एवं पृथक रिकॉर्ड की माँग कर सकते हैं: यह अ[illegible] है जब वे यह सिद्ध करें कि संपत्ति में उनका हिस्सा तय है और उनका [illegible] कागजी अधिकार अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। राजस्व नियमों के अनुसार, उत्तराधिकार के पश्चात उत्तराधिकारियों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज कर, उन्हें अलग–अलग हिस्सों में बाँटने का प्रावधान [illegible] राजस्व संहिता के अंतर्गत सीमांकन और बँटवारा किया जा सकता है)।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

"वादी व उनके भाइयों का खसरा संख्या 965 में वैध उत्तराधिकार सिद्ध होता है, तो उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात, उनके हिस्से का पृथक विभाजन (partition) एवं सीमांकन (demarcation) किया जाना न्यायोचित एवं कानूनन उचित है, जिससे उन्हें अपने हिस्से पर स्पष्ट और स्वतंत्र स्वामित्व मिल सके। वादी व उनके भाइयों का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर उनके हिस्से का पृथक विभाजन व सीमांकन किया जाना चाहिए।" इस प्रकार तनकी सं. 4 वादी व गौण प्रतिवादी 16 व 17 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 5

जब तक खसरा संख्या 965 की भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक पूरी भूमि सभी सह–खातेदारों की साझा संपत्ति मानी जाती है। ऐसी स्थिति में कोई भी एक पक्ष अपनी इच्छा से पूरे भूखंड का हस्तांतरण या विक्रय नहीं कर सकता। यदि वादी भूमि में वैध उत्तराधिकारी है और राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज न होने के कारण असुरक्षित स्थिति में है, तो ऐसे में कोई भी अंशधारी (प्रतिवादीगण) भूमि का हस्तांतरण करता है, तो यह वादी के हिस्से के अधिकारों का हनन होगा। निषेधाज्ञा का उद्देश्य यही होता है कि वादी के वैध अधिकारों की रक्षा की जाए जब तक कि विवादित संपत्ति का स्पष्ट विधिक समाधान (जैसे कि बँटवारा या सीमांकन) न हो जाए। जब तक विभाजन नहीं हुआ, तब तक कोई भी प्रतिवादी संपूर्ण भूमि को व्यक्तिगत रूप से हस्तांतरित या कब्जा नहीं कर सकता। इस स्थिति में वादी स्थायी निषेधाज्ञा का हकदार है।

निर्णय

"प्रस्तुत साक्ष्यों एवं तथ्यों के आलोक में यह स्पष्ट है कि जब तक खसरा संख्या 965 की खातेदारी भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता, तब तक प्रतिवादीगण को उक्त भूमि का किसी भी प्रकार से हस्तांतरण, विक्रय या स्वामित्व परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। चूंकि वादी का भूमि में वैध उत्तराधिकार बताया गया है, अतः वादी की हिस्सेदारी की रक्षा हेतु वह स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का पूर्ण हकदार है। अतः, यह प्रश्न 'हाँ' में उत्तरित किया जाता है कृ वादी स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है ताकि प्रतिवादीगण भूमि का कोई भी लेनदेन या कब्जा न करें जब तक कि विधिक विभाजन संपन्न न हो।" इस प्रकार तनकी सं. 5 वादी व गौण प्रतिवादी 16 व 17 के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 6

राजस्थान भूमि राजस्व अधिनियम एवं विधि सिद्धांत के अनुसार, जब कोई व्यक्ति स्वयं को किसी भूमि का खातेदार मानता है, और वह अपने खातेदारी अधिकार की घोषणा (Declaration) चाहता है, तो ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से सीमित समयावधि (limitation period) लागू नहीं होती जब तक कि वादी स्वयं कब्जे से वंचित न किया गया हो या अधिकार से इनकार न हुआ हो।

इस विषय में न्यायालयों द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि:

"If a person is claiming declaration of his Khatedari rights and is not seeking possession or challenging alienation] and if his name was wrongly encluded from revenue records] then mere passage of time does not bar such suit by limitation."

राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य राजस्व न्यायालयों के अनेक निर्णयों में यह सिद्धांत दोहराया गया है कि: "खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए, जब तक वादी के अधिकार का स्पष्ट इनकार नहीं किया गया हो, तब तक सीमावधि लागू नहीं होती।"

निर्णय

"प्रस्तुत प्रकरण में वादी द्वारा यह दावा किया गया है कि वह खसरा संख्या 965 की भूमि का वैध खातेदार है तथा उसका नाम गलत तरीके से राजस्व अभिलेख से वंचित कर दिया गया है। वादी द्वारा किए गए इस दावे में खातेदारी अधिकार की घोषणा की मांग की गई है, न कि तत्काल कब्जा या अन्य लेनदेन को चुनौती दी गई है। ऐसी स्थिति में खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए कोई निश्चित सीमावधि (Limitation Period) लागू नहीं होती, जब तक कि वादी के अधिकार का स्पष्ट और अस्वीकार्य रूप से इनकार न किया गया हो, यह वाद मियादबाहरी (Limitation Barred) नहीं माना जा सकता। अतः यह वाद मियादबाहरी नहीं है क्योंकि खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए कोई विधिक सीमावधि निर्धारित नहीं है।" इस प्रकार तनकी सं. 6 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

तनकी नं. 7

"प्रस्तुत वाद में वादी द्वारा यह दावा किया गया है कि खसरा संख्या 965 की भूमि मूल रूप से उनके पूर्वज स्व. अलमुदीन के नाम पर खातेदारी भूमि के रूप में दर्ज थी। वादी ने यह भी कहा है कि वह स्व. अलमुदीन के वंशज हैं, और इस प्रकार उक्त भूमि पैतृक संपत्ति की श्रेणी में आती है।

वाद से संबंधित साक्ष्य, वंशावली विवरण, तथा राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर यह तथ्य सामने आता है कि: स्व. अलमुदीन उक्त भूमि के मूल खातेदार थे। वादी व उनके भाई स्व. अलमुदीन की पहली पत्नी से उत्पन्न संतान हैं। भूमि का हस्तांतरण या पुनः रजिस्ट्रेशन किसी अन्य के नाम पर बिना विधिसम्मत उत्तराधिकार प्रक्रिया के किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि पर एकाधिकार जताते हुए वादी को उत्तराधिकार में हिस्सा देने से इनकार किया गया है। जब कोई संपत्ति पैतृक होती है अर्थात पूर्वजों द्वारा अर्जित और अविभाजित रही हो तो उसके सभी सह–उत्तराधिकारियों को उसमें बराबरी का हिस्सा प्राप्त होता है, जब तक कि विधिसम्मत बँटवारा न हो जाए।

निर्णय

वादियों की खसरा संख्या 965 की भूमि में पैतृक संपत्ति के रूप में उत्तराधिकार सिद्ध होता है। वादी व उनके भाइयों को उक्त भूमि में उनके वैध हिस्से का अधिकार है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम अंकित किए जाएँ। प्रतिवादीगण को भूमि का कोई एकपक्षीय हस्तांतरण, विक्रय या कब्जा परिवर्तन करने से रोका जाता है जब तक कि विधिसम्मत विभाजन न हो जाए। इस प्रकार तनकी सं. 7 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 8

मृतक व्यक्ति के नाम पर सीधे तौर पर खातेदारी दर्ज नहीं हो सकती, क्योंकि वह व्यक्ति अब जीवित नहीं है। लेकिन मृतक के वैध वारिसों (उत्तराधिकारियों) को उसके पैतृक या अधिग्रहित संपत्ति में उनकी हिस्सेदारी के अनुसार अधिकार प्राप्त होता है। अतः खातेदारी अधिकार वारिसों द्वारा दावा किया जा सकता है। जब वादी अपने आप को स्व. अब्दुल गफूर के वैध उत्तराधिकारी सिद्ध कर दिया हैं, अतः वे खाते की भागीदारी में हिस्सा पाने के हकदार माने जाएंगे। इस संदर्भ में, वादी का दावा वारिस के नाते सही और विधिक रूप से मान्य होगा। मृतक अब्दुल गफूर के स्थान पर उसके वारिसों का नाम रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए। यह दावा स्वाभाविक एवं न्यायसंगत है क्योंकि भूमि का स्वामित्व अब वारिसों के अधिकार में आता है।

निर्णय

"स्व. अब्दुल गफूर के नाम पर खातेदारी दर्ज करवाना कानूनन संभव नहीं है क्योंकि वह मृतक हैं। लेकिन उनका नामांकन नहीं होने के कारण उनके वारिसों द्वारा उक्त खातेदारी भूमि में अपने अधिकारों का दावा किया जाना न्यायसंगत और विधिक दृष्टि से मान्य है। अतः, स्व. अब्दुल गफूर के वारिसों के खाते की हिस्सेदारी का दावा वैध है और राजस्व रिकॉर्ड में उनके नाम अंकित किए जाने चाहिए। वादी को उसके हिस्से का उचित लाभ दिया जाना चाहिए। खातेदारी अधिकार मृतक अब्दुल गफूर के वारिसों द्वारा दावा किया गया है, जो विधिक रूप से स्वीकार्य है।" इस प्रकार तनकी सं. 8 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 9

राजस्व कानूनों के अनुसार, खातेदारी केवल जीवित व्यक्ति के नाम पर दर्ज की जा सकती है। मृतक व्यक्ति के नाम से खातेदारी वैध नहीं होती। यदि श्रीमती सुवटी देवी मृतक हैं, तो उनके स्थान पर उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी ही भूमि के वैध खातेदार और काश्तकार माने जाएंगे। उत्तराधिकार कानून के तहत मृतक के संपत्ति का स्वामित्व उसके वारिसों में बंट जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में मृतक के नाम की जगह उनके उत्तराधिकारियों के नाम दर्ज किए जाने चाहिए। परन्तु अलमुदीन के दो पत्नीयां व पांच पुत्र थे जिनमें से समसुदीन पाकिस्तान चला गया व चार वारीस उमरदीन,मंगतुदीन, बसीर अहमद, अब्दुल गफुर जिनमें से अब्दूल गफुर के वारीसों के नाम वादगत भूमि के राजस्व रिकार्ड में नही है परन्तु अलमुदीन [illegible] वारीस मंगतुदीन व उमरदीन कि पहले से 1/4–1/4 हिस्सा दर्ज है जिससे स्पस्ट प[illegible] है कि बसिर अहमद की भूमि सुवटी देवी के अंकित हो गई यदि मृतक [illegible] है, तो उसे हटाकर उनके वैध उत्तराधिकारी अब्दुल गफुर [illegible]

[illegible]

"चूंकि श्रीमती सुवटी देवी मृतक हैं, व उसकी [illegible]दारी वैध नही है विधिक और राजस्व प्रक्रिया के अनुसार, उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी ही इस भूमि के वैध खातेदार और काश्तकार होंगे। परन्तु अब्दुल गफर की भूमि त्रुटिवश सुवटी देवी के नाम अंकित हो गई है अतः राजस्व रिकॉर्ड में उनके

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

नामांकन का संशोधन कर मृतक के नाम को हटाकर उनके स्थान पर अब्दुल गफुर के वारीशो का नाम अंकित किया जाना चाहीये।"

श्रीमती सुवटी देवी के मृत्यु होने के कारण उनके प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारीयों की फोत होने से उनकी संतानों के खातेदारी दर्ज कि जानी चाहीए परन्तु अमलुदीन की दूसरी पत्नी सुवटीदेवी के वारिसों के नाम पहले से. उनके हिस्से की भूमि दर्ज होने से सुवटी देवी की भूमि अब्दुल गफुर के वारीस के नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। इस प्रकार तनकी सं. 9 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 10

यदि भूमि वादी की पैतृक संपत्ति है, तो वादी और उसके सह–उत्तराधिकारी भूमि में अपने हिस्से के वैध मालिक माने जाएंगे। पैतृक संपत्ति के मामलों में सभी उत्तराधिकारियों के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित किए जाने चाहिए, ताकि उनके अधिकारों की रक्षा हो सके। पैतृक संपत्ति होने के कारण वादी को इस भूमि पर कब्जा, काश्तकारी और अन्य स्वामित्व संबंधी अधिकार प्राप्त होंगे।

निर्णय

"चूंकि खसरा संख्या 965 की भूमि वादी की पैतृक संपत्ति सिद्ध होती है, अतः वादी एवं उसके सह–उत्तराधिकारी इस भूमि के वैध खातेदार, स्वामी तथा काश्तकार माने जाएंगे। इस भूमि में वादी का पूर्ण अधिकार स्थापित है और वे इसका उपयोग, कब्जा तथा संरक्षण करने के लिए सक्षम हैं।

राजस्व अभिलेखों में वादी एवं उसके भाइयों के नाम अंकित किए जाने चाहिए तथा प्रतिवादियों को भूमि के कोई भी अवैध हस्तांतरण, विक्रय या कब्जा से रोका जाना चाहिए। इस प्रकार तनकी सं. 10 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित की जाती है।

तनकी नं. 11

निर्णय

तनकी सं. 1 से 5 वादी व गौण प्रतिवादी 16 व 17 के पक्ष में निर्णित होने से व तनकी सं. 6 से 10 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से तनकी सं. 11 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी सं. 1 से 5 वादी व गौणप्रतिवादी सं. 16 व 17 के पक्ष में निर्णित होने से व तनकी सं. 6 से 10 प्रतिवादीगण के खिलाफ निर्णित होने से दावा वादीगण व जवाब दावा गोणप्रतिवादीगण सं. 16 व 17 स्वीकार करने योग्य है।

<u>निर्णय</u>

दावा वादी व गौणप्रतिवादी सं. 16 व 17 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सम्वत् 2008 से 2011 के राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा संख्या 239 एवं खसरा बंदोबस्त सम्मत् 2025 खेत खसरा संख्या 965 तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा जो अलमुदीन पुत्र मौला बक्श के नाम दर्ज है अलमुदीन की फोत हो जाने पर अलमुदीन की प्रथप पत्नी के जायन्दा पुत्र बसीर अहमद के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं द्वितिय पत्नी के जायन्दा दोनो पुत्र उमरदीन व मंगतुदीन के नाम 1/4 1/4 हिस्सा पुर्व में दर्ज है प्रथम पत्नी के जायन्दा अन्य पुत्र समसुदीन पाकिस्तान जाने से भूमि दर्ज नही हो सकती एवं शेष पुत्र अब्दुल गफुर का हिस्सा सहवन से द्वितिय पत्नी सुवटी के नाम गलत दर्ज हुई खातेदारी को निरस्त कर जायन्दा वारीस अब्दुल गफुर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर इनके जिवित वारीस इकबाल,रफिक व अनवर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय दिनांक 14 माह अगस्त सन् 202[illegible] द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

(बिजेन्द्र सिंह)R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

ब इजलास : श्री बिजेन्द्रसिंह आर.ए.एस.

1. इकबाल पुत्र स्वा. अब्दुल गफूर जाति मुस्लिम निवासी वार्ड सं. 26 मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

—वादी—

<u>बनाम</u>

1. उमरदीन पुत्र श्री अमलुदीन जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

1/1 श्रीमती खुर्शीद पत्नी स्व. उमरदीन

1/2 खालीद पुत्र स्वा. उमरदीन

1/3 बंटी पुत्र स्व. उमरदीन

हाल निवासी गजाननन कॉलोनी, एमआईडीसी नागपुर वड़गांव गुप्ता, अहमदगनर महाराष्ट्र

2. मंगतूदीन अमलुदीन जाति मुस्मिल धोबी निवासी वार्ड संख्या –29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू हाल निवासी गजानन कॉलोनी, एमआईडीसी नागपुर वड़गांव गुप्ता, अहमदनगर महाराष्ट्र
3. तायर पुत्र स्व बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्केल के पास, चूरू
4. महबूब पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
5. रमजान पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
6. सलीम पुत्र स्व. बशीर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 29 मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
7. श्रीमती आसमा पत्नी स्व. मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
8. नौशाद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
9. इरशाद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
10. अल्ताफ पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
11. राशिद पुत्र मनीर जाति मुस्लिम धोबी निवासीगण वार्ड संख्या 26 माहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
12. नवरतन शर्मा पुत्र [illegible] निवासी वार्ड संख्या– 28 चूरू
13. दिनेश सिहाग पुत्र [illegible] निवासी ग्राम राजपुरा तहसील तारानगर जिला चूरू
14. धर्मेश धायल पुत्र श्री हरफूल सिं[illegible] धायल जाति जाट निवासी ग्राम झाड़सर कांधलान तहसील तारानगर जिला चूरू

Signature Not Verified
Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested

15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
16. रफीक पुत्र अब्दुल गफूर जाति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 26मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू
17. अनवर पुत्र अब्दुल गफूर जांति मुस्लिम धोबी निवासी वार्ड संख्या 26मोहल्ला मोण्टेसरी स्कूल के पास, चूरू

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 53,88 आर.टी.ए.

मुकदमा नं. 489 सन 2018

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजंरी श्री सुरेन्द्र बुडानिया एडवोकेट वादी, मिनजानिब मुदईब व श्री सुरेन्द्र राहड़ एडवोके प्रतिवादी संख्या 2,3,6 से 14 व एडवोकेट संजय खान गोणप्रतिवादी स. 16 व 17 मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–

दावा वादी व गौणप्रतिवादी सं. 16 व 17 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर सम्वत् 2008 से 2011 के राजस्व रिकॉर्ड में खेत खसरा संख्या 239 एवं खसरा बंदोबस्त सम्मत् 2025 खेत खसरा संख्या 965 तादादी 19 बीघा 10 बिश्वा जो अलमुदीन पुत्र मौला बक्श के नाम दर्ज है अलमुदीन की फोत हो जाने पर अलमुदीन की प्रथप पत्नी के जायन्दा पुत्र बसीर अहमद के नाम 1/4 हिस्सा दर्ज है एवं द्वितिय पत्नी के जायन्दा दोनो पुत्र उमरदीन व मंगतुदीन के नाम 1/4 1/4 हिस्सा पुर्व में दर्ज है प्रथम पत्नी के जायन्दा अन्य पुत्र समसुदीन पाकिस्तान जाने से भूमि दर्ज नही हो सकती एवं शेष पुत्र अब्दुल गफुर का हिस्सा सहवन से द्वितिय पत्नी सुवटी के नाम गलत दर्ज हुई खातेदारी को निरस्त कर जायन्दा वारीस अब्दुल गफुर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाकर इनके जिवित वारीस इकबाल,रफिक व अनवर के नाम खातेदारी दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार चूरू उक्तानुसार राजस्व अभिलेखो में अमल दरामद करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 14 माह अगस्त सन् 2025 को जारी की गई।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी
चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:34:13 IST
Reason: SelfAttested